राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 06 / 2025 निगरानी

ग्राम पंचायत राजाजी का करेडा पं.स करेडा जिला भीलवाडा **बनाम** हरदेव लाल गुर्जर पुत्र जग्गु गुर्जर निवासी कालाजी, करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

–निगराकार **–गैर निगराकार**

निगरानी अंतर्गत धारा–97 राज० पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत राजाजी का करेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 35 मिसल नम्बर 393 सन् 2017–18 दिनांक 04 / 06 / 2018

उपस्थित – 1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता–निगराकार

अति. जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 09 / 03 / 2026

निगराकार द्वारा यह निगरानी विरूद्ध गैर निगराकारान अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेडा में दीनदयाल योजना शिविर राजस्व अभियान के तहत आदेशानुसार पंचायत को पुश्तैनी मकान के पट्टे अधिक से अधिक जारी करने थे। उस शिविर में पंचायत के सभी वार्ड पंच, सरपंच व सचिव शामिल थे। इस पर पंचायत द्वारा एक ही दिन में करीब 175 पुश्तैनी पट्टे जारी किए। गैर निगराकार द्वारा पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन मय शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अभियान कार्यों के कारण गैर निगराकार के पक्ष गैर निगराकार को प्रश्नतगत पट्टा जारी कर दिया गया, जो गैर निगराकार ने गलत शपथ पत्र बताकर जारी करवाया जो निरस्तनीय है।

गैर निगराकार द्वारा पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु आवेदन किया गया, लेकिन सही मौका निरीक्षण नहीं कराया। पंचायत द्वारा एफ.एस.सी योजना के तहत प्रस्तावित सबरी माता मन्दिर के पास ट्यूबवेल स्थापना हेतु जब स्थल का मौका देखने पर गैर निगराकार की आपत्ती पर यह जानकारी हुई। अतः अवैध रूप से जारी उक्त पट्टा निरस्तनीय है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का निर्णय पारित किया जाता है।

दौराने बहस पंचायत के अधिवक्ता ने अपने कथनों को दोहराते हुए गैर निगराकार द्वारा सही मौका स्थल का निरीक्षण नहीं कराने एवं पटवार हल्का करेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस व हाल जमाबंदी प्रति पेश की जिसमें उक्त भूमि गैर मुमकिन काबिल काश्त–मेला ग्राउन्ड(पशु मेला स्थल) हेतु आरक्षित है।

9.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया जिस उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा राजस्व अभियान के कार्यों के दौरान बिना मौका देखे जारी कर दिया गया। पटवारी करेडा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि(खसरा नं 3348 क्षेत्रफल 4–13बंजड व खसरा नं 3350 क्षेत्रफल 2–19) गैर मुमकिन काबिल काश्त–मेला ग्राउन्ड(पशु मेला स्थल) में दर्ज है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम सारगर्भित होकर व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर **स्वीकार** की जाती है। ग्राम पंचायत राजाजी का करेडा द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 04/06/2018 **निरस्त** किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत राजाजी का करेड़ा को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.3.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)